न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री पी आर मीना ,आर ए एस
अपील संख्या– आरटीए/174/2017

उनवान

1. नाथी देवी पत्नी खाना मीणा उम्र वयस्क निवासी–रघुनाथपुरा, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा (राज०)

.....अपीलार्थीया

बनाम

1. फूम्बालाल पिता केसर लाल मीणा, निवासी–रावतखेड़ा, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा (राज०)
2. मथुरालाल पिता केसर लाल मीणा, निवासी–रावतखेडा, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा (राज०)
3. रामपाल पिता रामकिशन मीणा, निवासी–रावतखेड़ा, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा (राज०)
4. काली पुत्री रामकिशन मीणा, निवासी रावतखेड़ा, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. आरामी पुत्री रामकिशन मीणा, निवासी–रावतखेडा, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. कमलेश पुत्री रामकिशन मीणा, निवासी रावतखेड़ा, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. सणगारी बेवा रामकिशन मीणा, निवासी रावतखेड़ा, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब जहाजपुर, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
9. सुमित्रा देवी पत्नी किशन मीणा, निवासी–भगता की झुपड्यिां, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा (राज०) रेस्पोडेन्टगण

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के
प्रकरण संख्या 133/2014 निर्णय एवं डिकी दिनांक 26.7.2016

अभिभाषक :

1. **श्री मनीष कांटिया अधिवक्ता अपीलार्थीया**
2. **प्रत्यर्थीगण अनुपस्थित**

आदेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

दिनांक 27.2.2026

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7 /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रावतखेड़ा, पटवार हल्का रावतखेडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा राज, में आराजी खसरा संख्या 5/30 रकबा 3.00 बीघा कृषि भूमि स्थित है। जिसमें वादीगण संख्या 1 व 2 का 2/3 हक व हिस्सा एवं 1/3 हक व हिस्सा वादीगण संख्या 3 से 7 का राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर खातेदार कास्तकार है ।

2. वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि जमीन के पडौसी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है तथा वादीगण की कृषि जमीन जो वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित है उस पर खेती करने हेतु सिजारे पर प्रतिवादी संख्या 2 को देते आ रहे है तथा प्रतिवादी संख्या 2 समय समय पर कास्त कर उपज का 1/2 (आधा) हिस्सा वादीगण को देते आ रहे थे परन्तु सन् 2012 में सरसों की फसल का 1ध्2 हिस्सा नहीं देकर कहा कि यह जमीन मेरी स्वयं की है, आपको विश्वास नहीं हो तो इसकी पत्थरगढी करवा लो जिस पर वादी ने मान्य न्यायालय में पत्थरगढी का आदेश प्रकरण संख्या 171/2012 से प्राप्त कर दिनांक 10.6.2014 को वादीगण द्वारा वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि जमीन की पत्थरगढी कराई तो प्रतिवादी संख्या 1 का वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि जमीन के कुछ हिस्से पर व शेष हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 2 का अवैद्य कब्जा पाया गया जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को कहा कि आपने मेरे खाते की जमीन पर अवैध कब्जा (अतिक्रमण/अतिचार) कर रखा है आप जमीन को छोडो तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अवैद्य कब्जा (अतिक्रमण / अतिचार) को छोडने से मना कर दिया गया इसलिये वादीगण अपने खातेदारी कृषि जमीन पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा कर रखा अवैद्य कब्जा (अतिक्रमण/अतिचार) से बेदखल करवा, कब्जा प्राप्त करने का अधिकारीगण है। तथा वादीगण को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 से कब्जा दिलाया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है। एंव बाद कब्जा दिलाने पर प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा कास्त में बाधा न डाले, डलवावे कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है।

3. वाद हेतुक दिनांक 10.6.14 को पत्थरगढी करने से व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का संयुक्त कब्जा पाये जाने की जानकारी होने से वाद हेतुक उत्पन्न होकर निरंतर जारी है।

4. अतः निवेदन है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि जमीन से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को बेदखल कर कब्जा पुनः वादीगण को दिलाने की घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावें।

5. यह भी निवेदन है कि बाद कब्जा पुनः वादीगण को दिलाने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादीगण के कब्जा काश्त में बाधा न डाले, न अपने नोकर, एजेन्ट, रिश्तेदारो से डलवावे कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे।

6. अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं बाद विचारण अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.7.2016 को वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

7. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । प्रत्यर्थीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलार्थीया की एकतरफा बहस सुनी गई।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 05.06.2017 को रेस्पोडेन्टगण अपीलार्थीया की भूमि पर आये और न्यायालय से एकपक्षीय पारित आदेश को दिखाते हुए अपीलार्थीया को उसकी कब्जासुदा भूमि से बेदखल करने की धमकी दी. तब अपीलार्थीया द्वारा न्यायालय मे जाकर नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया व दिनांक 07.06.2017 को निर्णय प्राप्त हुआ व वक्त जानकारी से अपील अपील जानकारी से अन्दरअवधि प्रस्तुत की जा रही है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि दिनांक 27.07.2016 से दिनांक 7.06.2017 तक का समय कन्डोन किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है।

10. अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का कारण युक्तियुक्त एवं सद्भाविक है। अपीलाण्ट ने अपील प्रस्तुत करने में जानबुझकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व. अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

कोई विलम्ब कारित नही किया है इस कारण विलम्ब को कन्डोन किया जाना न्यायोचित है।

11. अतः निवेदन है कि कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को कन्डोन करते हुए अपील को मियाद मे मानी जावे।

12. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिकी विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि

13. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन अपीलार्थीया को प्राप्त नहीं हुए, जिससे अपीलार्थीया न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष नहीं रख पाई व न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया। जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त होने योग्य है।

14. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीया स्वयं की भूमि पर ही काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही है अपीलार्थीया द्वारा रेस्पोडेन्टगण की भूमि पर न ही किसी प्रकार का कब्जा किया है एवं न ही किसी प्रकार का अतिक्रमण किया है, रेस्पोडेन्टगण द्वारा मनमकसूद तरीके से मिथ्या एवं असत्य आधारों पर वादपत्र प्रस्तुत कर एकपक्षीय डिक्री प्राप्त कर ली, जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

15. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेन्टगण का आराजी संख्या 530 पर कभी कब्जा नहीं रहा हैं, न ही रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थीया को उक्त भूमि सिजारे पर दी गई। जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

16. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीया अपने परिवार से अलग निवास करती है व उक्त वाद की तामिल अपीलार्थीया स्वयं पर नहीं हुइ. अपीलार्थीया अनूसुचित जनजाति की गरीब वृद्ध महिला है व रेस्पोडेन्टगण राजस्व रेकार्ड मे स्वयं की भूमि अपीलार्थीया की भूमि के पास दर्ज होने से उक्त न्यायालय के आदेश की आड़ में अपीलार्थीया को उसकी उपजाउ भूमि से बेदखल करना चाहते हैं अपीलार्थीया की उपस्थिति में कभी कोइ मौका पर्चा नहीं बनाया गया। जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

17. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट नही बताया कि अपीलार्थीया द्वारा रेस्पोडेन्ट की कितनी भूमि पर कब्जा कर रखा है। जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

18. अतः निवेदन है कि अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.07.2016 को अपास्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें।

19. हमनें प्रत्यर्थीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलार्थीया की एकतरफा बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त अनवान की एक अपील प्रस्तुत की गई है।जिसमें अपीलाण्ट द्वारा अपीलाधीन निर्णय/डिक्री की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 31.3.2018 को रेस्पोडेण्ट द्वारा कब्जा हटाने की हिदायत देने पर अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता नियुक्त कर जानकारी प्राप्त करने पर निर्णय/डिक्री की नकल प्राप्त करने पर हुई। अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 2.4.2018 को अविलम्ब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 5.4.2018 को नकल प्राप्त हुई। जिससे निर्णय डिक्री दिनांक 25.5.2017 से जानकारी दिनांक 31.3.2018 व नकल प्राप्त करने की दिनांक 5.4.2018 की अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार की जाना आवश्यक एवं न्यायहित में है।

20. अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह युक्तियुक्त है। अतः निर्णय दिनांक 25.5.2017 से तारीख जानकारी 31.3.2018 की अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार किया जाना जावे।

21. प्रत्यर्थीगण की ओर से रिबटल में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का जो कारण अंकित किया है उसका खण्डन होता हो। अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है। अतः न्यायहित में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

22. पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन, अवलोकन किया गया। बहस का मनन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन अध्ययन व मिलान किया गया । प्रकरण में तहसीलदार की मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकित है कि आराजीनम्बर 30 में जितने भी आवंटन हुए है मौके के अनुसार काबिज नहीं है और मौके के अनुसार कब्जा देते है तो सभी आवंटि प्रभावित होंगे। इस प्रकार प्रतीत होता है कि इस मौका रिपोर्ट का ठीक से अध्ययन व विश्लेषण नहीं किया है। केवल अनुतोष अनुसार आदेश पारित कर दिया है जो उचित नहीं है। प्रकरण में अधीनस्थ्ज्ञ न्याालय को यह स्पष्ट करना चाहिये था कि कहाँ पर कितने माप का मौका देना है जो नहीं किया गया है। पारित निर्णय स्पीकिंग श्रेणी का नहीं है। निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

23. आदेश

अतः अपील अपीलार्थीया आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिकी दिनांक 26.7.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकार को विधिवत पुनः तामील करवाई जावे व मौका रिपोर्ट दोनों की उपस्थिति में रेकार्ड अनुसार माप कर बनाई जावे । जवाब का समुचित अवसर प्रदान कर तनकियात कायम कर साक्ष्य का अवसर प्रदान कर रेकार्ड अनुसार गुणावगुण पर विस्तृत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16/5/26 को पेश हों।

24. आदेश आज दिनांक 27.2.2026 को खुले न्यायालय में सुनायागया।

(पी आर मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा